

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(13)राज/वाद/17पार्ट-1

जयपुर, दिनांक 24/5/23

श्री सतीश कुमार शर्मा, अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक निवाई, जिला टोंक,
श्री भगत सिंह, अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं02, भरतपुर,
श्री दिलीप सिंह राजावत, अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सवाईमाधोपुर,
श्री अजित चौपड़ा, अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं06, जयपुर महानगर-प्रथम एवं
श्री ओम प्रकाश चौधरी, अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं10, जयपुर महानगर प्रथम


विषय:- आर0पी0ए जयपुर में दिनांक 26.05.23 से 28.05.23 तक "Cyber Crime and Cyber Law Awareness Course for Public Prosecutor and Judicial Officers(CCPWC)" विषय पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण के लिये मनोनयन के संबंध में।

सन्दर्भ:- अति0 महानिदेशक पुलिस, प्रशिक्षण, राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांक प.11(11)प्रशि/सीसीपीडब्ल्यूसी/2023/ई-00241/5451-63 दिनांक 09.05.23

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र द्वारा अति0 महानिदेशक पुलिस, प्रशिक्षण, राजस्थान, जयपुर ने CCPWC योजना के तहत "Cyber Crime and Cyber Law Awareness Course, for Public Prosecutor and Judicial Officers(CCPWC)" पर राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में दिनांक 26.05.23 से 28.05.23 को 03 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया है।

इस विभाग के पत्र दिनांक 19.05.23 द्वारा उक्त 03 दिवसीय प्रशिक्षण में 15 लोक/विशिष्ट लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक को मनोनीत करते हुये भाग लेने हेतु निर्देशित किया गया था।


उक्त पत्र दिनांक 19.05.23 के श्री मोहम्मद मियां गुलजार, विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो, टोंक के स्थान पर श्री सतीश कुमार शर्मा (मोबाईल-9928245728) अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक निवाई, जिला टोंक, श्री तरुण जैन, विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो सं0 1, भरतपुर के स्थान पर श्री भगत सिंह (मोबाईल-9413414770) अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं02, भरतपुर, श्रीमती मंजू शर्मा, अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक क0सं0 2 कोटपूती, जिला जयपुर के स्थान पर श्री दिलीप सिंह राजावत(मोबाईल-9782975045), अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सवाईमाधोपुर, श्री योगेश यादव, लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक बून्दी के स्थान पर श्री अजित चौपड़ा(मोबाईल-9983576465), अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं06, जयपुर महानगर-प्रथम एवं श्री अख्तर अली खान, अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं05, कोटा के स्थान पर श्री ओम प्रकाश चौधरी(मोबाईल-9414244882) अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं10, जयपुर महानगर प्रथम को मनोनीत करते हुये उक्त 03 दिवसीय प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु निर्देशित किया जाता है कि अपने साथ सिविल औपचारिक वेशभूषा के साथ दिनांक 25.05.23 सांयकाल तक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में आवश्यक रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करें।


(हिमांकनी गौड़)
विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

लगातार/-

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति० महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण, राजस्थान जयपुर को सन्दर्भित पत्र के क्रम में।
2. श्री मोहम्मद मियां गुलजार, विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो, टोंक।
3. श्री तरुण जैन, विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो सं० 1, भरतपुर।
4. श्रीमती मंजू शर्मा, अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक क्र०सं० 2 कोटपूती, जिला जयपुर।
5. श्री योगेश यादव, लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक बून्दी।
6. श्री अख्तर अली खान, अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं०5, कोटा
7. संबंधित न्यायालय।
8. प्रोगामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


24/5/23
(हिमांकनी गौड़)
विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण